

354

पत्रांक -28/डा0से0-44/2012-4611-पत्र

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संयुक्त सचिव
प्रेषक
रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव।




सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 20/5/15

विषय:-

ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गयी असमायोजित राशि एवं सहायक अनुदान विपत्रों पर निकासी की गयी असमायोजित राशि के संबंध में।



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2002-03 से 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में ए0सी0 विपत्रों एवं सहायक अनुदान के विपत्रों पर निकासी की गयी राशि के लंबित सामंजन पर आपत्ति दर्ज की गयी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत समीक्षा बैठक में बार-बार निदेश दिया गया है कि या तो भाउचर्स से या राशि की वापसी कर ए0सी0 विपत्र/सहायक अनुदान विपत्र का सामंजन हर हाल में कराया जाय। लेकिन लंबित ए0सी0 विपत्रों एवं सहायक अनुदान विपत्रों के सामंजन में विगत 6 माह से अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है जो खेद का विषय है।

पुनः स्मारित किया जाता है कि 2011-12 तक लंबित ए0सी0 विपत्रों/सहायक अनुदान विपत्रों की राशि को जेबमागर में वापस जमा कराया जाय या उनका डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय। वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में ए0सी0 विपत्रों/सहायक अनुदान विपत्रों पर की गयी निकासी की सूची आपको ई-मेल से प्रेषित की जा रही है। इनके भी सामंजन की कार्रवाई की जाय। 6 माह पूर्व निकासी किये गये ए0सी0 विपत्र एवं 18 माह पूर्व निकासी किये गये सहायक अनुदान विपत्र का सामंजन नहीं होने की स्थिति में उस स्कीम के तहत अगला ए0सी0 विपत्र/सहायक अनुदान विपत्र की निकासी CTMIS से नहीं हो सकती है। वित्त विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उक्त विपत्रों के लंबित रहने की स्थिति में भी अगले विपत्र पर राशि निकासी हेतु शिथिलीकरण आदेश नहीं दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि ससमय लंबित ए0सी0 विपत्रों एवं सहायक अनुदान विपत्रों का सामंजन कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3 कृ०-बजट-विविध-39/2014 2804 /कृ०, पटना, दिनांक: -04-06-2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :-सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/ उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी (मुजफ्फरपुर)-सह-प्राचार्य/ उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/उप निदेशक (शष्य) प्रसार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

(15) 04/06/15
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2804

/कृ०, पटना, दिनांक: -04-06-2015

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(15) 04/06/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2804

/कृ०, पटना, दिनांक: -04-06-2015

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

(15) 04/06/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।